

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई- / म0स्वा0कार्य0 / (सीधी भर्ती-2013) / 2017 / 371

दिनांक:- 13/4/17

आदेश

निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक 23 दिनांक 26.02.2013 के क्रम में श्रीमती संतरा कुमारी पुत्री श्री हंसला पत्नी श्री राजाराम मीणा ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इसके संलग्नक में प्रस्तुत प्रपत्रों के परीक्षण दौरान अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र दिनांक 18.03.2013 में पिता/पति (दोनो) का नाम अंकित होने के कारण जाति प्रमाण पत्र की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से उसे उसके आवेदित वर्ग अनुसूचित जनजाति में नहीं माना जाकर अनारक्षित वर्ग में माना गया और इस कारण उसे उसके आवेदित वर्ग अनुसूचित जनजाति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थिया द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 4293/2017 श्रीमती संतरा कुमारी बनाम राजस्थान राज्य में दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा उक्त याचिका मे जारी आदेश दिनांक 10.04.2017 की अनुपालना मे अभ्यर्थिया/याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पिता/पति एवं पिता के नाम से जारी दोनो जाति प्रमाण पत्रों के परीक्षण से स्पष्ट है कि उक्त अभ्यर्थिया/याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पिता/पति के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र समुचित है तथा अभ्यर्थिया के पिता भी राजस्थान राज्य के ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के है।

चूंकि श्रीमती संतरा कुमारी का औसत प्राप्तांक 52.743 प्रतिशत एवं बोनस अंक 10 कुल 62.743 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग की कटऑफ 53.267 प्रतिशत तथा प्रतीक्षा सूची से चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कटऑफ 52.690 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार अभ्यर्थिया/याचिकाकर्ता की औसत प्राप्तांक प्रतिशत उसके आवेदित जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक होने के कारण वह महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु पात्र है।


श्रीमती संतरा कुमारी को उनके जाति वर्ग में वरीयतानुसार चयन किया जाकर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर पे-बैंड 5200-20200 ग्रेड पे 2800/- में कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन पदस्थापित किया जाता है:-

S. No.	Applicati on No.	Applicant Name	Father's Name	Date of Birth	Cate gory	Applic able Avg 85%	Bon us Ma rks	Total Percen tage	Place of Posting Under
1	603000 5712	Santra Kumari	Hansla	14-02-1986	S.T.	52.743	10	62.743	CMHO BUNDI

उक्त चयनित अभ्यर्थिया को दो वर्ष के प्रोबेशन काल में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:-एफ14(1)/एमडी(रूल्स)/2013-Pt दिनांक 08.06.2015 द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 11820/- (ग्यारह हजार आठ सौ बीस रूपये मात्र) प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। दो वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक पूर्ण करने पर इन्हे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की नियमित ग्रेड-पे एवं पे-बैंड देय होगा।

यह चयन एवं पदस्थापन आदेश निम्न शर्तों के अधीन किये जा रहे हैं:-

1. उक्त वर्णित अभ्यर्थिया को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/पैरामेडिकल/सीधी भर्ती-2013/2015/390 दिनांक 18.09.2015 जिसकी प्रति पूर्व में ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, (प्रति पुनः संलग्न हैं) में उल्लेखित अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या



नर्सिंग/पैरामेडिकल/सीधी भर्ती-2013/2015/391 दिनांक 18.09.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों, विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति बाबत पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जायेगा।

2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाये एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की नियमित पे-बेन्ड एवं ग्रेड-पे का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या: एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारी पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
4. उक्त वर्णित अभ्यर्थिया की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री/सीनियर हायर सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि को भी जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित की जानी है।
5. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आशय का 10/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो) शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थिया से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)
6. अभ्यर्थिया द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है। संबंधित सीएमएचओ द्वारा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के उपरांत अभ्यर्थिया को अपने अधीन पदभार ग्रहण किये जाने के आदेश जारी किये जावेंगे।
मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी द्वारा दूरदराज के क्षेत्र के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जावें।
7. उक्त अभ्यर्थिया को कार्यग्रहण करते समय उक्त समिति के सम्मुख स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, को मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सभी छाया प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होंगे।
8. अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज-फर्जी/परिवर्तित/कूटचरित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरुद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटचरित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।
9. विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देंगे।
10. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प015(1) कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.05 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
11. उक्त नियुक्तियां संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश एवं शर्तों के अधीन है।
12. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प. 6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2

13. अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग का नवीनतम जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि से 6 माह पूर्व तक की अवधि का राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, जिसमें क्रीमीलेयर/नॉनक्रीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिये। इन वर्गों के क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।
14. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन श्रेणी में चयनित हैं उन्हें अपनी निःशक्तता के संबंध में चिकित्सा मण्डल (Medical Board) द्वारा जारी मूल निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन विधवा अथवा परित्यक्ता श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध किया गया है उन्हें इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किया है।
16. नवचयनित अभ्यर्थिया से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का धूम्रपान/नशा नहीं किया जावेगा।
17. अभ्यर्थिया के कार्यग्रहण करते समय आवेदन करने की अंतिम तिथि 02.04.2013 को राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन एवं कार्यग्रहण तिथि को पंजीयन नवीनीकृत होना आवश्यक है।
18. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थिया का पदस्थापन आदेश जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात जारी किये जावेंगे।
19. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1 (1)कार्मिक/(क-2)/2016 दिनांक 15.07.2016 के अनुसार चरित्र सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।
20. उक्त अभ्यर्थिया को दिनांक 01-05-2017 तक संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।


(रामनिवास जाट)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर


दिनांक:- 13/4/17

क्रमांक: ई- /म0स्वा0कार्य0 / (सीधी भर्ती-2013) / 2016 / 371

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, (जन स्वा0/प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
6. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
7. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
8. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय के आदेश संख्या 390 दिनांक 18.09.2015 की पालना में तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर कमेटी की अध्यक्षता हेतु जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि मनोनीत करवाये तथा समिति की बैठक आयोजित करवाकर निदेशालय के आदेश क्रमांक 391 दिनांक 18.09.2015 में वर्णित समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही उपरान्त अभ्यर्थिया को उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करावें:-

- (i) अभ्यर्थिया का जिस जाति वर्ग (ओबीसी/एसबीसी/एसटी/एससी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी/सहरिया) में चयन हुआ है उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैध मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
 - (ii) अभ्यर्थिया का चयन ओबीसी/एसबीसी वर्ग में होने पर कार्यग्रहण तिथि को वैध नवीनतम जाति प्रमाण पत्र (नॉन क्रीमीलेयर) प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करावे।
 - (iii) शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उनके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
 - (iv) अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित अंको तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत अंकतालिका की छाया प्रति के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये है। यदि अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिका के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
 - (v) अभ्यर्थिया को राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्यक्षीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात ही प्रार्थी के मूल दस्तावेज लौटावे।
 - (vi) विधवा, विकलांग के प्रमाण पत्र एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
 - (vii) अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र 10/- रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र पर नोटरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत कराना होगा।
 - (viii) दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कांट-छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावे एवं कार्यग्रहण नहीं करावे।
 - (ix) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
 - (x) आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थिया से संबंधित मूल आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों आदि को प्राप्त करने हेतु विशेष वाहक को निदेशालय में तत्काल भिजवावे।
10. श्री श्याम कुमार पारीक, प्रशासनिक अधिकारी एवं केस प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय।
 11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
 12. संबंधित चयनित अभ्यर्थिया को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अभिशंषा पश्चात ही अभ्यर्थिया को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी।
 13. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


 (रामनिवास जाट)
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान, जयपुर